

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या 74/2014 के अन्तर्गत बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षा विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित तथा अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित करते हुए अनर्हित अभ्यर्थियों से दिनांक-05.10.2022 तक साक्ष्य सहित आपत्ति अभ्यावेदन आमंत्रित किया गया था।

अनर्हित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त पाया गया कि चार अभ्यर्थी अनुक्रमांक-74010041, 74010307, 74010712 एवं 74011757 को अनर्हित से अर्हित किये गये तथा छः अभ्यर्थी अनुक्रमांक-74010373, 74010451, 74010665, 74011042, 74011357 एवं 74012435 अनर्हित से पुनः अनर्हित की श्रेणी में रखे गये हैं।

विज्ञापन संख्या 74/2014 (शिक्षा) में अर्हित उम्मीदवारों में से कोटिवार मेधाक्रमानुसार चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिनांक-18.10.2022 (मंगलवार) 19.10.2022 (बुधवार) को आयोजित किया जाएगा।

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं अनुदेश, आरक्षण कोटिवार कट-ऑफ अधिभार अंक आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

वैसे उम्मीदवार, जिन्हें कोटिवार उक्त कट-ऑफ अधिभार अंक के समतुल्य अथवा उससे अधिक अधिभार अंक होने का दावा हो तथा जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, से अपने अधिभार अंकों की गणना तालिका एवं संगत प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों के साथ अपना आपत्ति अभ्यावेदन मात्र e-mail: bpscpat-bih@nic.in से दिनांक-16.10.2022 तक आयोग में भेज सकते हैं। दिनांक-16.10.2022 को 5.00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों द्वारा Ph.D/M.Phil With UGC Regulation 2009 का दावा किया गया है, उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे अपना Ph.D. का निबंधन संख्या एवं तिथि तथा अपने-अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से निर्गत Pre Ph.D अंकपत्र एवं Ph.D/M.Phil कितने और किन-किन Criteria से उत्तीर्ण है, से सम्बंधित प्रमाणपत्र साक्षात्कार के दिन समर्पित करेंगे। उक्त प्रमाणपत्र समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को Ph.D/M.Phil Without UGC Regulation 2009 माना जाएगा।

साक्षात्कार की तिथि के पूर्व यथासमय उम्मीदवारों का साक्षात्कार पत्र आयोग के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे डाउनलोड कर साक्षात्कार में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। किसी उम्मीदवार को डाक/ईमेल से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए आमंत्रित सभी उम्मीदवारों की अर्हता पूर्णतः औपबधिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।